



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02082023-247776
CG-DL-E-02082023-247776

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 535]
No. 535]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 1, 2023/श्रावण 10, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 1, 2023/SHRAVANA 10, 1945

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2023

मि.सं. 9-1/2010 (पीएस/मिस.) भाग खण्ड II.—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 14 के साथ पठित धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (ड) तथा (छ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपायों संबंधी) विनियम, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा-

1. लघु शीर्षक एवं प्रवर्तन-(1) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपायों संबंधी) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2023 कहा जा सकता है।

(2) वे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. निम्नलिखित विनियमों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपायों संबंधी) विनियम, 2018 संशोधित किया जाएगा और निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:-

विनियम	विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपायोंसंबंधी, विनियम 2018 के मुख्य विनियमों में मौजूदा प्रावधान	विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपायों संबंधी विनियम 2018 के मुख्य विनियमों में संशोधित प्रावधान
3.12	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) के तहत मान्यताप्राप्त संघटित अथवा सम्बन्ध महाविद्यालयों सहित कोई विश्वविद्यालय अथवा कोई संस्थान अथवा उक्त आधिनियम की धारा 3 के तहत सम विश्वविद्यालय संस्थान में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष अथवा शारीरिक शिक्षा और खेल कूद निदेशक के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होगी जबतक कि व्यक्ति इन विनियमों की अनुसूची 1 में उपर्युक्त पद के लिए यथा उपबंधित अर्हताओं के रूप में अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता हो।	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त संघटित अथवा सम्बन्ध महाविद्यालयों सहित कोई विश्वविद्यालय अथवा कोई संस्थान अथवा उक्त आधिनियम की धारा 3 के तहत सम विश्वविद्यालय संस्थान में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष अथवा शारीरिक शिक्षा और खेलकूद निदेशक के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होगी जबतक कि व्यक्ति इन विनियमों में उल्लेखित उपर्युक्त पद के लिए यथा उपबंधित अर्हताओं के रूप में अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता हो।
6.3	इन विनियमों के तहत कैरियर उन्नति योजना के अंतर्गत प्रोन्नतियों के लिए बनाये गए मानदंड, इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होंगे। तथापि, विद्यमान विनियमों के अंतर्गत पहले से योग्य अथवा संभावित योग्यता प्राप्त करने वाले संकाय के सदस्यों की कठिनाई कम करने के लिए उन्हें विद्यमान विनियमों के अंतर्गत प्रोन्नति हेतु विचार किये जाने के लिए विकल्प दिया जा सकता है। यह विकल्प इन विनियमों के तिथि से केवल 3 वर्ष तक प्रयोग में लाया जा सकता है।	इन विनियमों के तहत कैरियर उन्नति योजना के अंतर्गत प्रोन्नतियों के लिए बनाये गए मानदंड, इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होंगे। हालांकि, उन संकाय सदस्यों की कठिनाई का समाधान करने के लिए, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपायों संबंधी) विनियम, 2010 विनियमों के अनुसार पहले ही अर्हता प्राप्त कर चुके हैं या मौजूदा विनियमों के तहत छह महीने के भीतर (17 जनवरी 2019 तक) अर्हता प्राप्त करने की संभावना है, उन्हें पदोन्नति हेतु विचार करने के लिए एक विकल्प 2010 या 2018 विनियम के अंतर्गत दिया जा सकता है। इस विकल्प का उपयोग इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से केवल 31 दिसंबर, 2023 तक किया जा सकता है और पात्रता की तारीख को पदोन्नति की तारीख के रूप में बरकरार रखा जाएगा। आवेदन जमा करने की तिथि पर, उम्मीदवार को पदोन्नति के लिए आवश्यक सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।
6.3 VI (iii)	जो उम्मीदवार पहले मूल्यांकन में सफल नहीं होते हैं, उनका एक वर्ष के बाद ही पुनर्मूल्यांकन होगा। जब ऐसा उम्मीदवार अंतिम मूल्यांकन में सफल होता है, तो उसकी पदोन्नति अस्वीकृति की तारीख से एक वर्ष मानी जाएगी।	जो उम्मीदवार पहले मूल्यांकन में सफल नहीं होते हैं, उनका एक वर्ष के बाद ही पुनर्मूल्यांकन करना होगा। जब ऐसा उम्मीदवार अंतिम मूल्यांकन में सफल होता है, तो उसकी पदोन्नति अंतिम मूल्यांकन की तारीख के आधार या तो 1 जनवरी या 1 जुलाई से प्रभावी होगी, जैसा कि नीचे बताया गया है: यदि अंतिम मूल्यांकन 1 जनवरी और 30 जून के बीच

		है तो पदोन्नति 1 जुलाई से दी जाएगी। यदि अंतिम मूल्यांकन 1 जुलाई और 31 दिसंबर के बीच है तो पदोन्नति 1 जनवरी से दी जाएगी।
6.3 VIII	सी.ए.एस के अंतर्गत प्रत्याशित पदोन्नति के लिए अपेक्षित ओरिएंटेशन कोर्स और रिफ्रेशर कोर्स की आवश्यकता 31 दिसंबर, 2018 तक अनिवार्य नहीं होगी।	जहां कहीं ओरिएंटेशन कोर्स (ओसी)/रिफ्रेशर कोर्स (आरसी) की आवश्यकता अधूरी रह गई है, वहां पदोन्नति नहीं रोकी जाएगी लेकिन इन अपेक्षाओं को आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित या 31 दिसंबर, 2023 तक पूरा किया जाना चाहिए।
तालिका 3एके अंतर्गत क्रम सं. 3	एम.फिल.	एम.फिल./एलएल.एम/ एम.टेक/ एम.आर्क/एम.ई./एम.वी.एससी./एम.डी आदि।
तालिका 3ए के नीचे नोट श्रेणी के अंतर्गत क्रम सं.डी	स्कोर केवल संबंधित राज्य स्लेट/सेट विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में नियुक्ति के लिए मान्य होगा।	स्लेट/सेट स्कोर केवल संबंधित राज्य विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थानों में नियुक्ति के लिए मान्य होगा।
तालिका 3बी के अंतर्गत क्रम सं.3	एम.फिल.	एम.फिल./एलएल.एम/एम.टेक/एम.आर्क/एम.ई/ एम.वी.एससी./एम.डी आदि।

प्रो. मनिष जोशी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./317/2023-24]

टिप्पणी : प्रमुख विनियम का प्रकाशन भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खण्ड 4 के अंतर्गत संदर्भ सं. एफ.1-2/2017 (ईसी/पीएस) दिनांक 18 जुलाई, 2018 को हुआ था।

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2023

F. No. 9-1/2010(PS/MISC)Pt. Vol.II.—In exercise of the powers conferred under clause (e) and (g) of sub-section (1) of section 26 read with section 14 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission hereby makes the following amendment in the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018, namely:-

- 1. Short title and commencement.**-(1) These regulations may be called the **University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) (3rd Amendment) Regulations, 2023.**

(2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. The following regulations in the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and Other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018, shall stand amended and be read as under:-

Regulation	Existing Provisions in Principal Regulations on Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and Other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education, 2018	Amended provisions in principal Regulations on Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and Other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education, 2018
3.12	No person shall be appointed to the post of University and College teacher, Librarian or Director of Physical Education and Sports, in any university or in any of institutions including constituent or affiliated colleges recognized under clause (f) of Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 or in an institution deemed to be a University under Section 3 of the said Act if such person does not fulfill the requirements as to the qualifications for the appropriate post as provided in the Schedule 1 of these Regulations.	No person shall be appointed to the post of University and College teacher, Librarian, or Director of Physical Education and Sports, in any university or in any of the institutions including constituent or affiliated colleges recognized under clause (f) of Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 or in an institution deemed to be a University under Section 3 of the said Act if such person does not fulfill the requirements as to the qualifications for the appropriate post as provided in these Regulations.
6.3	The criteria for promotions under Career Advancement Scheme laid down under these Regulations shall be effective from the date of notification of these Regulations. However, to avoid hardship to those faculty members who have already qualified or are likely to qualify shortly under the existing regulations, a choice may be given to them, for being considered for promotions under the existing Regulations. This option can be exercised only within three years from the date of notification of these Regulations.	The criteria for promotions under Career Advancement Scheme laid down under these Regulations shall be effective from the date of notification of these Regulations. However, to avoid hardship to those faculty members who have already qualified or are likely to qualify within six months (till 17 th January, 2019) as per the UGC Regulations on <i>Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education, 2010</i> , a choice may be given to them either, for being considered for promotions under the 2010 or 2018 Regulations. This option can be exercised only up to 31 st December 2023 and the date of eligibility shall be retained as the date of promotion. On the date of submission of the application, the candidate should fulfil all eligibility criteria required for promotion.
6.3 VI (iii)	The candidate who does not succeed in the first assessment, he/she shall have to be re-assessed only after one year. When such a candidate succeeds in the eventual assessment, his/her promotion shall be deemed to be one year from the date of rejection.	The candidate who does not succeed in the first assessment, he/she shall have to be re-assessed only after one year. When such a candidate succeeds in the eventual assessment, his/her promotion shall be effected either from 1 st January or 1 st July depending on the date of eventual assessment, as detailed below: If the eventual assessment is between 1 st January and 30 th June of a year, the promotion shall be granted from 1 st July of

		the year. If the eventual assessment is between 1 st July and 31 st December of a year, the promotion shall be granted from 1 st January of next year.
6.3 VIII	The requirement for the Orientation Course and Refresher Course for promotions due under the CAS shall not be mandatory up to 31st December 2018.	Wherever the requirement of the Orientation Course (OC)/Refresher Course (RC) has remained incomplete, the promotions would not be held up, but these requirements should be fulfilled by 31 st December 2023 or as notified by the Commission from time to time.
S.No. 3 under Table 3A	M.Phil.	M.Phil/ LLM /M.Tech/ M.Arch/ M.E./ M.V.Sc./M.D etc.
S.No. D under the category of Note below Table 3A	The score shall be valid for appointment in respective State SLET/ SET Universities/ Colleges/Institutions only.	SLET/SET score shall be valid for appointment in respective State Universities/Colleges/Institutions only.
S.No. 3 under Table 3B	M.Phil.	M.Phil./ LLM / M.Tech / M.Arch / M.E / M.V.Sc. /M.D etc.

Prof. MANISH JOSHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./317/2023-24]

Note : The Principal Regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary under Part III, Section 4 *vide* No. F. 1-2/2017 (EC/PS) dated 18th July 2018.